

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4 खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ शनिवार, 7 अक्टूबर, 1989

आश्विन 15, 1911 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

भाषा अनुभाग—1

संख्या— 4171 / 21-89-1-1980

लखनऊ, 7 अक्टूबर, 1989

अधिसूचना

प0आ0-1276

उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल आदेश देते हैं कि उर्दू भाषियों के हित में द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू का प्रयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, अर्थात्—

- 1— उर्दू में, अर्जियों और आवेदन-पत्रों की प्राप्ति और उर्दू में उनका उत्तर,
- 2— उर्दू में लिखित दस्तावेजों को निबन्धन कार्यालय द्वारा स्वीकार किया जाना,
- 3— महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उर्दू में भी प्रकाशन,
- 4— सार्वजनिक महत्व के सरकारी आदेशों और परिपत्रों का उर्दू में भी जारी किया जाना,
- 5— महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का उर्दू में भी प्रकाशन,
- 6— गजट के उर्दू रूपान्तर का भी प्रकाशन,
- 7— महत्वपूर्ण संकेत पट्टों का उर्दू में प्रदर्शन।

आज्ञा से,
जगदीश चन्द्र पंत,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no 4171/XXI-89-1-1980 Dated October 7, 1989 for general information:

No. 4171/XXI-89-1-1980

Dated Lucknow, October 7, 1989

In exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Official Language Act, 1951, the Governor is pleased to order that in the interest of Urdu speaking people, Urdu language shall be used as second official language for the following purposes, namely:-

1. entertaining petitions and applications in Urdu and replies thereof in Urdu,
2. receiving documents written in Urdu by the Registration office,
3. publications of important Government Rules, Regulations and Notification in Urdu also,
4. issuing Government Orders and circulars of public importance in Urdu also,
5. publication of important Government advertisements in Urdu also,
6. publication of Urdu translation also of the Gazette.
7. exhibition of important signposts in Urdu.

By order,

J.C. PANT,
Pramukh Sachiv.